



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक :- जिविसेप्रा/संविदा सेवा/2025-26/918

दिनांक-24.03.2026

खुली निविदा

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय हेतु सहायक मानव संसाधन को संविदा आधार पर नियुक्त करने हेतु वर्ष 2026-27 (01.04.2026 से 31.03.2027 तक) हेतु निम्नानुसार मोहर बंद निविदा पंजीकृत इच्छुक फर्म/एजेन्सी/ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें निर्धारित तिथि को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

बिड - 01 / 2025

क्र. स.	कार्य का विवरण	पद का विवरण	अनुमानित लागत रुपये लाखों में	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य अवधि	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा पत्र खोलने के की तिथि
1	लीगल एड डिफेंस काउंसिल हेतु सहायक मानव संसाधन	ऑफिस असिस्टेंट (3) रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (1) ऑफिस पिऑन (3)	10.68	21360	500	31.03.2027 तक	25.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे से	06.04.2026 सायं 05:00 बजे तक	07.04.2026 दोपहर 02:00 बजे तक

- निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना व अन्य शर्तें आदि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in/> तथा <https://pratagarh.dcourts.gov.in/> पर भी देखी जा सकती है।
- निविदादाता निविदा की दरें निर्धारित प्रारूप में अन्तिम तिथि 06.04.2026 को सायं 05:00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 07.04.2026 को दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष चयन/क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 500/- ई-ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075-00-800-52-01 व धरोहर राशि 21,360/- ई-ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443-00-103-00-00 में जमा करानी होगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। निविदा शुल्क व धरोहर राशि नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से स्वीकार्य नहीं होगी तथा निविदा शुल्क व धरोहर राशि रोकड जमा कराये जाने की स्थिति में निविदा से वर्जित किया जाएगा (Department Code-100211, DDO Code - 25079)
- किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
- भर्ती किये जाने वाले उक्त कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। कार्मिकों की संख्या घटाई/बड़ाई जा सकती है।

(हस्ताक्षर)

(केदारनाथ),

सचिव,

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक :- जिविसेप्रा/संविदा सेवा/2025-26/919-822

दिनांक-24.03.2026

प्रतिलिपी :-

- श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़।
- श्री सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, प्रतापगढ़ को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- लेखा शाखा कार्यालय हाजा को एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने बाबत।
- नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय/कार्यालय हाजा।

(हस्ताक्षर)

(केदारनाथ),

सचिव,

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

प्रतापगढ़ (राज.)



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ (राज.)

तकनीकी बिड निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम ई-मेल तथा डाक का पूरा पता....
.....
2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक.....दिनांक.....
3. निविदा शुल्क रुपये 500/- ई-ग्रास चालान संख्या दिनांक
के द्वारा बजट मद 0075-00-800-52-01 निविदा प्रपत्र शुल्क में जमा करवा दी गयी है।
4. बोली प्रतिभूति/धरोहर राशि रुपये 21,360/- का ई-ग्रास चालान संख्या
दिनांक द्वारा बजट मद 8443-00-103-00-00 में जमा करवा दी गयी है।
5. हम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों के बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
5	आयकर (PAN Number)			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत			

7. नोट :- उपरोक्तानुसार दस्तावेज संलग्न करने पर तथा तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही निविदा को तुलनात्मक विवरण पत्र में शामिल किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सचिव

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ (राज.)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

क्र. सं.	पद का नाम (पूर्णतया अस्थाई)	कार्मिक को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या			प्रस्तावित राशि (रूपयों में)
		कार्मिक श्रेणी	कार्मिक की संख्या	सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्ज तथा EPF/ESI/GST etc. सहित अधिकतम राशि (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) रुपये	
1	2	3	4	5	6
1	Office Assistant	उच्च कुशल	03	14,000/-	
2	ERceptionist Cum Data Entry Operator	उच्च कुशल	01	14,000/-	
3	Office Peon	अकुशल	03	11,000/-	

- उपर्युक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियाँ अंकित की जावेगी।
- किसी भी स्थिति में अधिकतम देय राशि कॉलम संख्या 05 (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) से अधिक नहीं होगी तथा इसमें सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्ज तथा EPF/ESI/GST etc. शामिल होंगे।
- कॉलम संख्या 6 में दरें शून्य/ऋणात्मक में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा राशि पूर्ण रूपयों में अंकित की जायेगी।

हस्ताक्षर

निविदादाता के नाम एवं पता
मय सील


सचिव
(अपर जिला एवं रेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)



— नियम व शर्तें —

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 500/- ई-ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075-00-800-52-01 व धरोहर राशि 21,360/- ई-ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443-00-103-00-00 में जमा करानी होगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। निविदा शुल्क व धरोहर राशि नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक से स्वीकार्य नहीं होगी तथा निविदा शुल्क व धरोहर राशि रोकड जमा कराये जाने की स्थिति में निविदा से वर्जित किया जाएगा (Department Code-100211, DDO Code - 25079)
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संवेदक/बोलीदाताओं का होगा।
4. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार कार्मिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
6. कार्मिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार समस्त कार्मिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिक के मानदेय राशि से कटौति और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह में पेटे कार्मिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर Display Boards लगायें जायेंगे। जिन पर संवेदक का नाम संविदा की अवधि, कार्य की प्रगति कार्मिकों हेतु Helping Number एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त कार्मिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्मिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की अतिरिक्त रूप से देय नहीं होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की

महेश्वरी

सचिव

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)

“Help The Needy, Timely Help May Create History”



जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा। परन्तु यह समस्त राशि निविदा में अंकित अधिकतम देय राशि से अधिक नहीं होगी तथा इसी अधिकतम देय राशि में सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्ज, ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. व जी.एस.टी. भी शामिल होंगे।

11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
13. नियोजक श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता की होगी, इसके लिए इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो उसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जावेगी।
16. सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
17. अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा दर संविदा चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध करने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।

Handwritten signature

सचिव

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)

— "Help The Needy, Timely Help May Create History"



18. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
19. यदि एक से अधिक बोलीदाता की दरें समान मिलती हैं तो अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाड़े पर नहीं देगा।
21. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
22. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) सफल बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र में उल्लेखित बोली प्रतिभूति राशि निम्न 'क' से 'ड' तक की शर्तें पूरी नहीं करने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी।
- बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा :-
- क- जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
- ख- जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- ग- जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- घ- जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारंभ नहीं करता।
- ड- यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
23. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति-
- अ- बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 3 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
- ब- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
24. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :-
- क- जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- ख- जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- ग- जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरंभ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन-संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

Signature

सचिव

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)

"Help The Needy, Timely Help May Create History"



25. भुगतान—

क— सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल बाद प्रमाणीकरण भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारंभ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलंब में बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलंब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

26. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages)— परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :—

क— विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए — 2.5 %

ख— विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक — 5 % किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए

ग— विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक — 7.5 %

घ— विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलंब के लिए — 10 %

ड— विलंब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जाएगा।

च— यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

छ— यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि पर निर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

27. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

28. आयकर की कटौति नियमानुसार की जायेगी।

29. निविदा दर दिनांक 31.03.2027 तक के लिए नियमानुसार मान्य होगी।

30. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

31. निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निर्धारित दिनांक और समय को खोली जाएगी। निविदा खोलने की दिनांक को यदि अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

32. कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित हैं।

33. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

34. समस्त न्यायिक मामलों में न्यायक्षेत्र प्रतापगढ़ शहर होगा।

सचिव

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

“Help The Needy, Timely Help May Create History”



प्रारूप सं.1

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं.

(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :

(i) अपीलार्थी का नाम :

(ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :

(iii) आवासिक पता :

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :

(i)

(ii)

(iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यक्ति है:

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :

.....
.....(शपथ-पत्र द्वारा
समर्थित)

7. प्रार्थना :

स्थान :

तारीख :

अपीलार्थी के हस्ताक्षर



सचिव

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रतापगढ़ (राज.)